राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के समग्र क्रियाकलापों का वैयक्तिक अध्ययन

Case study of plenary activities of Government Girl Residential School

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्य विश्वविद्यालय

गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर

को

पी–एच.डी. (शिक्षा) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रारूप

शोधकर्त्री :
वर्षा भाटिया

iase
deemed
university

शोध निर्देशक :

प्रो. मनीषा वर्मा
प्रोफेसर (शिक्षा)

2016

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, (सीटीई) गाँधी विद्या मन्दिर
सरदारशहर, जिला–चूरू (राजस्थान) – 331401

शोध प्रारूप

1. **शोधकर्त्री का नाम** : वर्षा भाटिया

2. **शोध का शीर्षक** : राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के समग्र क्रियाकलापों का वैयक्तिक अध्ययन

3. **अध्ययन का स्थान** : बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, (सीटीई) गॉधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, चुरू, (राज0).

4. **अध्ययन का क्षेत्र** : बालिका शिक्षा

5. <u>शोध के उद्देश्य</u> :

- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के स्थापना के उद्देश्यों का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय की आवसीय व्यवस्था का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय को प्राप्त वित्तीय स्त्रोतों का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय की कार्मिक व्यवस्थां का अध्ययन करना।

- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय को संचालित करने वाली स्वंयसेवी संस्था का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को प्राप्त सुविधाओं का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के कार्यों के प्रति समाज के अभिमत का अध्ययन करना।
- राजकीय बालिका आवसीय विद्यालय से संबंधित भावी योजनाओ तथा कार्यक्षेत्र के संवर्द्धन का अध्ययन करना।

6. शोध का महत्व :

बालिका शिक्षा का वर्तमान समय में अत्यन्त महत्व है। आज समय तेजी से बदल रहा है। सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य स्वंयसेवी संस्थाऐं कर रही हैं। महिलाओं को समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। शिक्षा स्त्रियों को सामर्थ्य देती है, उन्हें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करती है, समुदाय में उनकी मान प्रतिष्ठा बढाती है। इससे भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा से लडकियों को व्यक्तिगत और राष्ट्र तथा विश्व के नागरिक के रूप मे अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होता है।

लड़कियों की शिक्षा से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तो प्राप्त होता ही है, आर्थिक उत्पादन में भी सुधार होता है और इसका स्वास्थ्य, पोषण और परिवार पर सीधा असर होता है। पर्यवेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब बालिकाओं के नामांकन दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसके 20 वर्ष बाद बाल मृत्यु दर लगभग 30 प्रतिशत कम हो जाती है। लडकियों की शिक्षा विकास की दिशा में योग देती है। शिक्षा स्त्रियों को ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है ताकि वे आगे दूसरों को शिक्षा दे सकें तथा विकास के लिए की गई कोशिशों से विशेषकर स्वास्थ्य, पोषक आहार , सफाई, स्वच्छता, मनोरंजन और पर्यावरण के क्षेत्रों में लाभ पहुँचाऐं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के फलस्वरूप अनेक योजनाओं के माध्यम से राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, निःसदेह सरकार का सार्थक कदम है। अतः इन बेघर व अनाथ बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की व्यवस्था इन बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, ताकि वे ज्ञान और दक्षता प्राप्त कर इस दुनिया मे धैर्यपूर्वक डट कर जी सके।

7. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन :

यादव, नरेन्द्र कुमार (2001) ने **''अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन''** पर शोध कार्य बुदेलखण्ड विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने अनुसूचित जाति की बालिकाओ की शिक्षा

के प्रति अभिभावको के दृष्टिकोण का अध्ययन किया। उनके शोध के अनुसार, माता–पिता का दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक है। जिस कारण विद्यालयों में नामांकन में तो वृद्धि हुई है, परन्तु माता–पिता के अशिक्षित होने के कारण अपव्यय व अवरोधन की समस्या मे कमी नही आई है।

झा, पी. (2001) ने ''**बालिका शिक्षा कैम्पस छिन्दवाडा एकल अध्ययन**'' पर शोध कार्य मध्यप्रदेश में किया। इस शिक्षा केन्द्र की स्थापना जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। शोध में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार, कैम्पस जनजातीय बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त नही कर सका तथा प्राथमिक स्तर की कक्षाऐं भी नियमित रूप से नहीं चली।

महास्कर, वी.एम. (2003) ने ''**सर्वे आफ द इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ हॉमलेस चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र स्टेट**'' पर शोध कार्य किया। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा के विभिन्न संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया, आर्थिक स्थिति, संस्था कर्मचारी संगठन का अध्ययन किया । ये संस्थाऐं जातीय भेदभाव के बिना इन घर विहिन बच्चों को आधारभूत आवश्यकताऐं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मिश्रा, रंजना (2004) ने ''**बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा का सर्वाभौमिकरण**'' के संदर्भ में एक अध्ययन पर शोध कार्य किया। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन, अनुपस्थिति, अपव्यय व अवरोधन के विषयों का अध्ययन किया। प्राप्त परिणामों के अनुसार, बालिकाओं का नामांकन उनकी उपस्थिति से बहुत अधिक है। परन्तु धनाभाव, विद्यालय की दूरी, घर

के कार्यों व अभिभावकों की उदासीनता के कारण अपव्यय व अवरोधन मे अधिकता है।

पाठक, वीरेन्द्र (2006) ने **समाज कल्याण पत्रिका** के **अगस्त, 2006** के अंक में **''बालिका शिक्षा का महत्व''** के लेख में प्रस्तुत किया कि जीवीकोपार्जन की योग्यता पैदा कर, शिक्षा स्त्रियों का समुदाय में स्थान ऊंचा करती है और परिवार व समुदाय में निर्णय करने का अधिकार दिलाती है।

सिंह, सूर्यभान (2011) ने **समाज कल्याण पत्रिका** के **फरवरी, 2011** के अंक में **''बाल विकास को चाहिए दृढ इच्छा शाक्ति''** के लेख में प्रस्तुत किया आज के बच्चे कल का भविष्य है। इस युक्ति को सही मान लिया जाये तो आने वाले कल के भारत की तस्वीर का हर एक पक्ष अत्यन्त कष्टदायक और अंधकार भरा है। अनेक नीतियां, योजनाऐ, कार्यक्रम समय–समय पर बनाये गये, परन्तु आज आवश्यकता है सामाजिक व मानसिक परिवर्तन की और इसका एकमात्र साधन शिक्षा का प्रसार है।

8. कार्यों का अध्यायों के अनुसार वर्गीकरण :

8.1 प्रथम अध्याय : शोध की पृष्ठभूमि

8.1.1 प्रस्तावना

किसी संस्कृति को अगर समझना हो तो सबसे आसान तरीका है कि हम उस संस्कृति में नारी की स्थिति को समझने की कोशिश करें। स्त्रियां समाज के सांस्कृतिक चेहरे का दर्पण होती हैं। अगर किसी देश में स्त्रियों का जीवन उनमुक्त

हो, तो इसका सीधा आशय यह निकलता है कि उस देश का समाज एक उन्मुक्त समाज है। वात्सलय, स्नेह, कोमलता, दया, ममता, त्याग, बलिदान जैसे आधार पर ही सृष्टि खड़ी है और ये सभी गुण एक नारी में सम्माहित है। नारी की यह विशेषता है कि वह जन्मदात्री है, सृष्टि सृजन करती है, जीवन की समूची रसधार उसी पर आधारित है।

वर्तमान में, देश में लोकतंत्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित स्त्रियों की है। प्रत्येक समाज मे स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित स्त्री के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री **पं. जवाहरलाल नेहरू** ने कहा है–

''एक बालक को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है जबकि एक बालिका को शिक्षित करना सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के महत्व के संदर्भ मे कहा है, **''लडकियों को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके, बल्कि इस कारण महत्वपूर्ण है कि वे समाज में बदलाव को गति प्रदान करती है।''**

1947 में, स्वतन्त्रता के साथ भारत को विरासत में मिलने वाली शिक्षा व्यवस्था न केवल मात्रात्मक रूप से सीमित थी, अपितु उसमें क्षेत्रीय व ढांचागत असन्तुलन भी विद्यमान थे। शिक्षा को विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर शैक्षिक

व्यवस्था में सुधार तथा पुनर्रचना के फलस्वरूप कुछ व्यवस्था की गई, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये जो निम्न प्रकार है–

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15(1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाये जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 42)। इसके साथ ही 1950 में 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों मे किया गया। 12 दिसम्बर, 2002 को 86 वें संविधान संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद 21 (क) में **''शिक्षा के अधिकार''** को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा अप्रैल, 2010 को यह अधिनियम पूर्ण रूप से कानूनी बाध्यता के साथ अनिवार्य कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्यता व सार्वभौमीकरण के पश्चात् भी लाखों की संख्या में बालिकायें शिक्षा से वंचित है, जो समाज के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रहा है। समाज मे ऐसी बालिकाऐं भी हैं जो बेघर, अनाथ व असक्षम माता–पिता की संतान है। इन बालिकाओं की सुरक्षा व शिक्षा के लिए सरकार द्वारा राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक उचित प्रयास है।

8.1.2 अध्ययन का औचित्य :

शिक्षा अंधकार को समाप्त करने का वह स्त्रोत है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। ज्ञान बालिका के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। बालिका किसी भी समाज की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो बड़ी होकर पत्नी, मां, बहन और परिवार की आय का उपार्जक बनकर महत्वपूर्ण भूमिकाऐं अदा करती है। वैश्वीकरण व भूमण्डलीकरण के युग में महिलाऐं समाज में आज भी हाशिये पर है।

हमारे देश में 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 64.60 प्रतिशत हो गई आज भी देश की 36 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है जिसका प्रभाव देश के आर्थिक , सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पडता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए परम आवश्यक है कि बालिकाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाये । राहत की बात यह कि विलम्ब से ही सही , पर बालिका शिक्षा का महत्व केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की समझ में आ गया है, और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर, प्रत्येक 5 में से 1 बालिका को गरीबी, हिंसा और भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। प्रतिदिन बालिकाएं विद्यालय जाना छोड़ रही हैं, बाल विवाह किये जा रहे हैं और समाज मे हिंसा व भेदभाव की शिकार हो रही हैं। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है अपितु मानवीय संसाधनों का

विनाश है, जो कि सशक्त बालिका के रूप में समाज को प्राप्त होना चाहिए। यह स्थिति तब अधिक भयावह रूप ले लेती है जबकि, बालिका बाल्यवस्था में ही अपने माता पिता को गंवा देती है। ऐसी स्थिति में, संरक्षण का अभाव बालिका की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित करता है। इन बेघर, अनाथ व असक्षम माता–पिता की बालिकाओं की शिक्षा एक समस्या के रूप में सामने आई है, जबकि ये बालिकायें शिक्षा पाकर न केवल अपने जीवन को, बल्कि अपने चारों और भी बदलाव की बयार ला सकती है। इसकी शुरूआत बालिकाओं हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चितता से की जा सकती है। शिक्षा से ही बालिकाओं की प्रतिभा को निखारा जा सकता है और आवाज को मुखर किया जा सकता है। इन बालिकाओं की सुरक्षा व शिक्षा के लिये सरकार द्वारा राजकीय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की सार्थक भूमिका व योगदान जानने की जिज्ञासा के फलस्वरूप शोधकर्त्री ने इसे शोध का विषय बनाया है।

8.1.3 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्याः

- **बालिका** : वे बालिकायें जो 11–14 आयु वर्ग की अनामांकित, ड्रापआउट तथा बेघर, अनाथ व असक्षम माता–पिता की संतान है।
- **राजकीय आवासीय विद्यालय** : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन खोले गये ऐसे विद्यालय जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा व सुरक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था करते हैं।

- **वैयक्तिक अध्ययन** : समस्त कार्यों का विस्तृत व गहन अध्ययन।

  पी.वी.यंग के अनुसार, ''एकल अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन की इकाई का विभाजन व खोज करती है। चाहे वह व्यक्तिगत परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह हो अथवा सार्वभौमिक समुदाय।''

8.1.4 शोध—विधि व उपकरण :

एकल अध्ययन विधि

साक्षात्कार एवं प्रश्नावली

8.1.5 अध्ययन का परिसीमन :

यह आवासीय विद्यालय, **कस्तूरबा गांधी विद्यालय** के मापदण्डानुसार, कक्षा 6 से 8 तक के लिए संचालित किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण राजस्थान में ऐसे 8 विद्यालय 8 जिलों में संचालित है। चूंकि ये अध्ययन एक वैयक्तिक अध्ययन है, अतः मेरे द्वारा, अलवर जिले के राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय तक अध्ययन को सीमित रखा गया है।

8.2. द्वितीय अध्याय : संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

8.3 तृतीय अध्याय : विद्यालय की पृष्ठभूमि

8.4 चतुर्थ अध्याय : आवासीय विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था

8.5 पंचम अध्याय : आवासीय व्यवस्था

8.6 षष्ठम् अध्याय : आवासीय विद्यालय को प्राप्त वित्तीय स्त्रोत

8.7 सप्तम् अध्याय : आवासीय विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियां

8.8 अष्टम् अध्याय : आवासीय विद्यालय की कार्मिक व्यवस्था

8.9 नवम् अध्याय : आवासीय विद्यालय को संचालित करने वालीः स्वंय सेवी संस्था का

परिचय

8.10 दशम् अध्याय : आवासीय विद्यालय मे अध्ययनरत बालिकाओं को प्राप्त सुविधाऐं

8.11 एकादश् अध्याय : आवासीय विद्यालय के प्रति समाज का अभिमत

8.12 द्वादश अध्याय : आवासीय विद्यालय से संबंधित भावी योजनायें तथा कार्यक्षेत्र

संवर्द्धन

8.13 त्रयोदश अध्याय : शोध सारांश, निष्कर्ष व सुझाव

9. संदर्भ ग्रंथ सूची :

- अग्रवाल, रश्मि (1999). *स्ट्रीट चिल्ड्रन,* दिल्ली, क्षिप्रा पब्लिकेशन्स्.
- जैन, प्रतिभा एवं संगीता शर्मा (1998). *भारतीय स्त्री,* जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स.
- रूहेला, एस.पी (2008). *विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा,* आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.

- शर्मा, आर.ए (2011). *शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया,* मेरठ,आर. लाल. बुक डिपो.
- सिंह, मनोज कुमार (2005). *शिक्षा और समाज,* मध्यप्रदेश, आदित्य पब्लिशर्स.
- त्रिपाठी, मधुसूदन (2006). *बालिका शिक्षा,* नई दिल्ली, विद्यावती प्रकाशन.
- पाठक, वी.के (अगस्त 2000). *बालिका शिक्षा का महत्व,* समाज कल्याण, वर्ष 46 अंक–1.
- लक्ष्मी, विजया (2015). *नारी शिक्षा का महत्व,* http; //jayvijay.co. /2015/ 04 /08.

10. शोध कार्य मे लगने वाला समय :

क्रं.सं	अध्याय	अनुमानित समय
1	प्रथम अध्याय	7 माह
2	द्वितीय अध्याय	3 माह
3	तृतीय से द्वादश अध्याय	10 माह
4	त्रयोदश अध्याय	4 माह
	कुल अनुमानित समय	**24 माह**

दिनांक मय निर्देशक के हस्ताक्षर **शोधकर्त्री के हस्ताक्षर**

APPENDIX –III

CERTIFICATE BY SUPERVISOR

Certified that:-

1. I,..(name) hereby give my consent to guide the research work of Shri/Km./Smt ....on the topic.. .... (Title of research) if he/she is registered for the Ph.D research work.
2. To the best of my knowledge, the subject selected by the candidate for research has not been studied and is not being studied so far in any university.
3. The subject has sufficient work load to keep the candidate engaged for two years.
4. The subject will lead to a valuable contribution. I have seen and approved the outline and bibliography etc. submitted by the candidate.
5. Necessary facilities are available in the Department for the above research work (certificate from Principal/ Head of Dept. with regard to facilities available is enclosed.)
6. At present I have in all ....(number)research scholar(s) registered under my supervision and the serial number of this candidate whose application being forwarded for registration is..
7. The candidate is not in close relation to me...
(the term 'close relative' includes 'Wife, husband, son, daughter, sister, nephew, niece grand niece, grand nephew, uncle, aunt, first cousin son-in-law, daughter-in-law and nephew, niece, grand niece and nephew of supervisor's wife'.)

Signature of the
Supervisor with date

Certified that available facilities in the department will be extended to Shri/Km./Smt ....for research work if he/she is registered for Ph.D.

Signature of the Principal/
Director of the Institution

Signature of the Head of the
Department